[श्री विजयेन्द्र पाल सिंह]

करते हैं कि इसका झुकाव अमेरिका की तरफ है। हमें इसकी ही चिन्ता है।

मैं पृथक्करण के बारे में भी कहना चाहूंगा जिसके बारे में माननीय मंत्री जी बात कर रहे थे। ऐसा क्यों है कि साइरस रियेक्टर को जांच के अंतर्गत रखा गया है? आपको इस प्रश्न का उत्तर देना ही चाहिए। क्या जीवश्म सामग्री के उत्पादन पर कोई अधिस्थगन है? क्या एफ एम सी टी पर कोई वार्ता की गई है? एफ एम सी टी पर हमारी वर्तमान स्थिति क्या है? जिन देशों ने एन पी टी पर हस्ताक्षर किए है उनकी तुलना में हमारी क्या स्थिति है? क्या उनकी तुलना में हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा? या हमारी स्थिति उनके समान ही होगी? इसके बाद क्या आई ए ई ए को एन पी टी से भिन्न निरीक्षणों का अधिकार होगा? या यह समान होगा? जैसा कि मैंने पहले कहा था। क्या आई ए ई ए के साथ अमेरिकी निरीक्षक हमारे सभी परमाणु सुविधाओं को जांचेगे?

चौथे, क्या सहमति होने के बाद उद्देश्य में विचलन हुआ है, जिस पर काफी चर्चा हो रही है माननीय मंत्री दोनों सदनों सेनेट और कांग्रेस में - क्या कह रहे थे - माननीय प्रधानमंत्री कौन-सा पक्ष रखने जा रहे हैं?

महोदय, मैं आपको यहां यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि लीग ऑफ नेशन्स जिसे इनके राष्ट्रपतियों में से एक द्वारा प्रवर्तित किया गया था, उसे दोनों सदनों की सहमति से बाहर फेंक दिया गया था। यदि इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारा क्या होगा?

अंततः, यदि हम इतिहास के पन्नों में जाएं, तो क्या आपको तारापुर और हमारे अन्य संयंत्रों का स्मरण होता है? किन्हीं कारणों से ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी। वे भी किसी न किसी कारण से ईंधन की आपूर्ति को बंद कर देंगे, तब जबकि हमने सभी रियेक्टरों की कीमत के लिए कई मिलियन डालरों का भुगतान किया होगा। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और हमें यूरेनियम प्राप्त नहीं होता और हम थोरियम से भी उत्पादन नहीं करते हैं जोकि हमारे पास उपलब्ध है, तो हमारी स्थिति क्या होगी ?

महोदय, मेरे यही प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आपका अत्यन्त आभारी हूं।

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदय, वाद-विवाद सुनते समय मुझे गर्व हो रहा था कि मैं एक भारतीय हूँ। इस वाद-विवाद से यह स्पष्ट हो गया है कि जब भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा की बात होती है तो दलों में कोई मतभेद नहीं रहता। चिंताएं हो सकती हैं, परंतु अपने हितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्र एक साथ आवाज उठाएगा और यही संदेश स्पष्ट तौर पर प्रतिध्वनित हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे इस बात पर गर्व है। परन्तु मैं यह भी जानता हूं कि इससे समझौते के संदर्भ में इस सभा द्वारा मेरे ऊपर जो भरोसा किया गया है उसे पूरा करने की मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।

महोदय, मैं विश्व में भारत के स्थान, हमें जिस ओर जाना चाहिए तथा उस दिशा में हम कैसे जाएंगे इन सभी बातों की तस्वीर स्पष्ट करते हेतु कुछ समय लूंगा। मैं यह मानता हूँ कि हम असमान शक्तियों वाले विश्व में रहते हैं तथा जो भी शक्तिशाली है वह हमेशा दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है।

महोदय, मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मैंने एक बार मानसिंह को बोलते हुए सुना था जिन्होंने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के साथ मिलकर आई.एन.ए. की स्थापना की थी। अपने भाषण में उन्होंने पंजाबी में कहा था कि "दुनिया मारदी जोरां नू—लाख लानत कमजोरां नूं"। इसका अर्थ यह है कि विश्व शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों की पूजा करता है, कमजोर और दुर्बलों को हमेशा दबाया जाता है।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि केवल कठिन परिश्रम द्वारा हम लक्ष्य सिद्ध कर सकते हैं और विकासशील विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का मुख्य केन्द्र बन सकते हैं। इसके बाद ही भारत को वह आदर, वह विश्वसनीयता तथा वह शक्ति प्राप्त होगी जो हमारा असली उद्देश्य है। आखिरकार हमारे देश के पास महान सभ्यता है, एक बिलियन लोगों की जनसंख्या और ऐसे स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास है जो विश्व के सभी देशों के लिए ईर्ष्या का विषय है। परन्तु इन सभी इच्छाओं को तभी पूरा किया जा सकता है जब भारत आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरे।

आज भारत के प्रति विश्व के रवैये में परिवर्तन आया है। आज 50 से 60 वर्षों के अनुभव के पश्चात् दुनिया आश्चर्यचकित है कि विश्व में भारत जैसा एक देश है जहां की आबादी एक अरब हैं, देश में जहां सभी प्रमुख धर्मों को मानने वाले समुदाय रहते हैं, जहां कानून का प्रभुत्व है और सभी मौलिक मानव अधिकारों का आदर किया जाता है। विश्व यह स्वीकार करता है कि आज विश्व में भारत के आकार, इसकी विविधता, भारत जैसे मिश्रित समाज वाला देश और मुक्ति समाज और मुक्त अर्थव्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक मुक्ति चाहने वाला देश कोई और नहीं है। इसलिए इसमें इतनी रुचि दिखाई जा रही है।

जब भी कोई देश ऊपर उठता है तो शक्ति सम्पन्न देशों को चिंता हो जाती है। परन्तु आप इसे पसंद करें या नापसंद करें पर मुझे लगता है कि आज विश्व के बाकी देश भारत में अंतर्निहित सभ्यता को प्राप्त करने में उसकी सहायता करना चाहते हैं क्योंकि भारतीय सभ्यता के इतिहास में भारतीयों ने कभी भी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। वे व्यापारियों, धर्मोंपदेश को, सद्भावना का संदेश ले कर दूसरे देशों में गए हैं और विश्व इसके लिए हमारा आदर करता है। भारत ऐसा है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर पंडित जवाहर लाल नेहरू का भी यही आशय था जब उन्होंने कहा था "हमारे स्वप्न भारत के लिए हैं परन्तु वे केवल भारत के लिए ही नहीं हैं। ये स्वप्न विश्व के सभी उत्पीड़ितों के लिए हैं।" अतः महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा से आदरपूर्वक यह अनुरोध करूंगा कि वे भारत के प्रति विश्व के बदले हुए रवैये को पहचानें। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि शक्ति की राजनीति खत्म हो चुकी है, कि किसी को भी उत्पीड़ित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम खतरों से अपनी रक्षा करें। यदि हम उपलब्ध अवसरों का लाभ नहीं उठाएंगे तो यह गलत होगा। मैं ईमानदारी से यह मानता हूं कि हमारे देश के हित के लिए यह आवश्यक है कि हम प्रमुख शक्तियों से अच्छे संबंध बनाए। मुझे इस बात पर कोई खेद नहीं है कि हम अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका एक सर्वोत्तम शक्ति है। परन्तु गत वर्षों के दौरान जब मैं प्रधानमंत्री रहा हूं तब हमने रशिया, यूरोपियन संघ, चीन, अरब देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के भरसक प्रयास किए हैं।

हमें गणतंत्र दिवस पर सम्मानित अतिथि के रूप में सऊदी अरब के राजा का स्वागत करने का सौभाग्य मिला। जब वे वापिस गये तो उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा–"माननीय प्रधान मंत्री जी विश्व ऊर्जा की कमी की बात करता है। जब तक सऊदी अरब है हम आपकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।" अतः यह एक ध्रुवीय विश्व हो सकता है। परन्तु हमने इस तरीके से कार्य किया है जिससे हमारे सभी बड़ी शक्तियों, सभी पड़ोसियों से संबंध मजबूत हुए हैं। हम एशियाई देशों के साथ नए रिश्ते बना रहे हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बंग्लादेश सहित अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सामान बनाने, उन्हें बढ़ाने और उन्हें विकसित करने के लिए कठिन परिश्रम करने की अपनी वचनबद्धता मानते हैं। हम इसके प्रति वचनबद्ध रहेंगे। यह हमें हमारी सभ्यता से विरासत में प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम का यही अर्थ है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं ऐसे गांव में पैदा हुआ था जहां बिजली नहीं थी। वहां तब तक भी बिजली नहीं थी जब मैं पढ़ने के लिए पड़ोस की तहसील में गया। हमारे गांवों में महिलाएं लकड़ी का प्रयोग करती हैं। इसके कारण उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। जब तक हम इस तस्वीर को नहीं बदलेंगे तब तक कई मिलियन लोगों के लिए विकास एक मृग तृष्णा बन कर रहेगा।

पुराने समय में जब भी कोई पुराने सोवियत संघ गया तो उसने हर तरफ मोटे अक्षरों में यह लिखा देखा कि समाजवाद का अर्थ है सोवियत जमा विद्युत। सोवियत संघ भले ही समाप्त हो गया हो परन्तु लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक अवसरों के विस्तार और आधुनिकरण में विद्युत की महत्वपूर्ण भूमिका एक वास्तविकता है और इसलिए यदि आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु भारत के प्रयास को सफल बनाना है तो हमें निरन्तर अधिक विद्युत की आवश्यकता होगी।

आज दो प्रकार की बातें हैं जो हमारे देश में विद्युत की मांग का निर्धारण करती हैं। पहली सामान्य विकास प्रक्रिया। जैसे-जैसे विकास होता है उसके साथ ही वाणिज्यिक क्षेत्र में विद्युत मांग यदि राष्ट्रीय आय की विकास दर से ज्यादा न बढ़े तो उस दर तक तो बढ़ ही जाती है। परन्तु हमारे देश में, एक और क्रांति चल रही है और वह है हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण तथा गैर-वाणिज्यिक ऊर्जा जैसे जलाऊ लकड़ी और ऊर्जा के अन्य गैर वाणिज्यिक स्रोतों का वाणिज्यिक विद्युत से प्रतिस्थापन। अतः इतिहास से हमें पता चलता है कि विकास की प्रक्रिया में यदि हमारी अर्थव्यवस्था में 8 से 10 प्रतिशत दर से विकास होगा तो हमारी वाणिज्यिक विद्युत हेतु भाग कम से कम या तो इसकी समान दर अथवा शायद उससे अधिक की दर से बढ़ेगी।

महोदय, यह प्रश्न उठाए गए हैं कि क्या हमें परमाणु विद्युत की आवश्यकता है। मेरे विचार में इस संबंध में जितनी जानकारी श्री सुरेश प्रभु को है उतनी किसी और को नहीं है। इस संबंध में महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए हैं। मैं यह दावा नहीं कर रहा कि हमारे देश में ऊर्जा की मांग को पूरा करने का एकमात्र रास्ता परमाणु ऊर्जा ही है। हमारे यहां कोयले के प्रचुर भण्डार हैं हमें उनका दोहन करना चाहिए। परन्तु विद्युत की मांग के हिसाब से हमारे कोयले के भण्डार लगभग 45 वर्षों में खाली हो जाएंगे। हमारे पास पनबिजली प्रचुर मात्रा में हैं परन्तु वे दूर-दराज के क्षेत्रों में हैं और हम सभी जानते हैं कि जब जल शक्ति का उपयोग किया जाता है तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है जैसे पुर्नवास लागत, राहत कार्य और साथ ही एक असुरक्षित

[डा. मनमोहन सिंह]

भूकम्पीय क्षेत्र में होने के कारण उत्पन्न खतरों से सम्बद्ध लागत।

अब हम कम से कम यह जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन का भविष्य अनिश्चित है। इसकी आपूर्ति, मूल्य के संबंध में अनिश्चितता है। तेल का मूल्य जो दो वर्ष पहले 30 डालर प्रति बैरल से कम था वह अब बढ़कर 75 डालर प्रति बैरल हो गया है और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे यह बताया है कि बहुत ही कम समय में यह बढ़कर 100 डालर प्रति बैरल हो जाएगा। हमारे यहां हाइड्रो कार्बन्स की कमी है। हमारे यहां तेल की खपत लगभग 110 मिलियन टन है। हम केवल 30 मिलियन टन का उत्पादन करते हैं। गत 10-15 वर्षों में हमने अपना तेल उत्पादन नहीं बढ़ाया है। ऐसी परिस्थिति में यदि भारत के विकास को विद्युत की कमी के कारण बाधित नहीं करना तो मेरे विचार में यह किसी भी सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह ऊर्जा की आपूर्ति के संबंध में अपने विकल्पों का विस्तार करने के बारे में सोचे। मैं परमाणु समझौते के बारे में यह बताना चाहता हूं कि हमें इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमें यह सुनिश्चित करना है कि पर्याप्त वाणिज्यिक ऊर्जा के अभाव में हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा न आए। इसलिए मैं हमारे देश के लिये उपलब्ध ऊर्जा विकल्पों का विस्तार करने का प्रयास कर रहा हूं। हाइड्रोकार्बन के भविष्य के बारे में मैंने जो कहा है, वह चाहे गलत ही सिद्ध क्यों न हो फिर भी हमें इन विकल्पों का उपयोग करना चाहिए। यदि सरकार विकास के अवसरों, ऊर्जा विकल्पों के विस्तार हेतु अवसरों का लाभ नहीं उठाती तो यह उसकी लापरवाही होगी। यही कारण है कि हमने अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए अन्य विकल्पों को अपनाना उचित समझा। हमारे यहां यूरेनियम की कमी हैं। विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां यूरेनियम की उत्पादन लागत अधिक है। उपलब्ध अनुमानों के अनुसार हमारे यहां केवल 10,000 मेगावाट के बराबर परमाणु ऊर्जा की उत्पादन के लिए यूरेनियम उपलब्ध है तथा वह भी केवल 30 वर्षों तक चलेगा। मेरा मानना है कि हमें भावी सम्भावनाओं पर एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

यदि यही तस्वीर है, यदि हमारे लिए यूरेनियम की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापक अवसर है, यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रौद्योगिकियों के परस्पर लाभदायक आदान-प्रदान में बढ़ावा देने के अवसर हैं जिनसे उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रमुख धूरी के रूप में उभरने की भारत की अभिलाषाओं को पूरा करने में सहायता मिलती है तो, हमें इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। यही दृष्टिकोण है जिसने हमें अवसरों का पता लगाने परमाणु क्षेत्र में भेदभाव की नीतियों जिन्होंने गत तीन दशकों अथवा उससे भी अधिक समय से भारत की परमाणु ऊर्जा के विकास को बाधित किया है, को हटाने की प्रेरणा दी है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय जनरल खंडूड़ी ने उन पंक्तियों को उद्धृत किया है जो मैंने दूसरे सदन में कहीं थीं कि-भारत के परमाणु कार्यक्रम की शुरूआत परमाणु ऊर्जा पर बल देने के लिए की गई थी तथा रक्षा क्षेत्र को इसमें बाद में शामिल किया गया मेरे विचार में यह सही वक्तव्य है। यदि आप पंडित जी, डा. भाभा का वक्तव्य पढ़ें तो आप देखेंगे कि कुल मिलाकर हमारा जोर हमेशा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर रहा है। यही कारण है कि भारत ने 1960 में ही संयुक्त राष्ट्र मंच पर व्यापक परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया था हम श्री राजीव गांधी की परमाणुमुक्त विश्व की परिकल्पना के प्रति वचनबद्ध हैं।

यह कहा जा सकता है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का दृष्टिकोण आदर्शवादी था परन्तु उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि हम एक अनिश्चित विश्व में रहते हैं। हमारा अपने पर्यावरण पर नियंत्रण नहीं और आज कौन यह कहना चाहेगा कि वे बुद्धिमान नहीं थे आज हम जिस अनिश्चित विश्व, असमान शक्ति वाले विश्व में रह रहे हैं वहां परमाणु हथियार एक वास्तविकता है। हमारे देश को अपने रणनीतिक विकल्प रखने चाहिए और इसलिए हमारे देश के पास सामरिक परिसम्पत्तियों, परमाणु परिसम्पत्तियों हेतु कार्यक्रम की एक बहुमूल्य विरासत है जो पंडित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी तथा राजीव गांधी के प्रयासों का परिणाम है।

महोदय, आपको मेरा आश्वासन है कि जब तक हम वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए सतत कार्य करेंगे तब तक हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे इस राष्ट्रीय विरासत को कोई नुकसान पहुंचे। परन्तु, जब तक मुझे यह ज्ञात नहीं होता कि ऐसा दिन कल, परसों नहीं आ जाता परन्तु फिर भी हम ऐसी आशा करते हैं कि किसी दिन यह निश्चित रूप से हो जायेगा। परन्तु तब तक हम इस रणनीतिक विकल्प को नहीं छोड़ सकते हैं। महोदय, मैं आपको और आपके माध्यम से इस सभा और देश को आश्वासन देता हूं कि इस परमाणु समझौते में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उस रणनीतिक स्वायतता को नुकसान हो, जो कि अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के प्रबंधन के संबंध में इस देश के पास होनी चाहिए।

महोदय, अनेक मामले उठाए गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए यह उचित होगा कि मैं उन पर क्रमवार उत्तर दूं, जिन पर मैं अन्य सभा में उत्तर दे चुका हूं, परन्तु यहां वाद-विवाद

के दौरान उभरी कुछ गंभीर चिंताओं को मैं उत्तर के लिए लूंगा। सबसे पहली हमारी विदेश नीति की स्वायत्तता है। महोदय, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं—जैसा कि मैंने कुछ ही क्षण पूर्व कहा था—कि यह परमाणु समझौता किसी राष्ट्र चाहे वह संयुक्त राज्य अमरीका या कोई अन्य राष्ट्र हो, के अधीन होने का यंत्र नहीं है। हमारी समृद्ध विरासत है, जोकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम से चली आ रही है। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था: "मैं इस देश में चारों दिशाओं से खुला एक घर बनाना चाहता हूं ताकि परिवर्तन की लहर प्रत्येक दिशा से बह सके। परन्तु, मैं किसी एक दबाव के कारण अपनी परम्परा से हटने को अस्वीकार करता हूं। मुझमें अपने पैरों पर खड़े होने का साहस और क्षमता होनी चाहिए।" हमारी विदेशी नीति के लिए यही प्रेरणा और प्रोत्साहन है।

ईरान पर विशेष वोट के बारे में उल्लेख किया गया है। अरब देशों के समान ही ईरान के साथ भी हमारे सामाजिक संबंध हैं। हम उन सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने इन्हें नया स्वरूप देने तथा हमारे आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे। और गैस पाइपलाइन परियोजना उस प्रक्रिया का एक भाग है। हम इसे वास्तविक रूप देने के लिए कार्य करेंगे। परन्तु, वह विशेष वोट एक विशेष मामले के सदंर्भ में था, जिसका हमें निर्धारण करना था और वह है—अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यह प्रश्न पूछा—ईरान ने एनपीटी हस्ताक्षर किये हैं। इसलिए, हमारा मत है कि इसे उन सभी अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए जो एनपीटी सदस्य के रूप में इसे प्राप्त हैं; इसे उन सभी दायित्वों का सम्मान करना चाहिए, जो एनपीटी के सदस्यों को सौंपे गए हैं, न उससे अधिक और न ही उससे कम। सौभाग्यवश परिस्थितियां उसी ओर गई हैं। प्रारंभ से ही, चाहे यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में हो या संयुक्त राष्ट्र में, हमने सदैव यही मत रखा है कि इस मामले का समाधान बलपूर्वक नहीं किया जा सकता; इसका समाधान वाद-विवाद, संवाद और विचार-विमर्श से ही किया जा सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि उदाहरण के लिए, परिस्थितियां सही दिशा में जा रही हैं। उदाहरण के लिए ईरान सरकार ने पी-5 द्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तावों पर सकारात्मक अनुक्रिया की है और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे सभी इच्छुक पक्षों के मध्य सकारात्मक संवाद को बढ़ावा मिलेगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित समस्याओं का समाधान बल प्रयोग के बिना किया जा सकता है, और हमें भी बल-प्रयोग स्वीकार्य नहीं हैं।

महोदय, इसके अतिरिक्त, पिछले दो वर्षों में हमारा रिकॉर्ड एक खुला रिकॉर्ड रहा है। हमने चीन के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री वेन यहां आए थे; हमें आशा है कि इस वर्ष चीन के राष्ट्रपति हु जिन्ताओ यहां आएंगे। पिछले वर्ष जापान के प्रधानमंत्री श्री कोइजुमी यहां आए थे। रूस के राष्ट्रपति श्री पुतिन भी यहां आए थे। रूस, चीन, जापान और यूरोपीय संघ तथा आशियान देशों के साथ हमारे संबंध बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए, सभा को मेरा आश्वासन है कि हमारी विदेश नीति की स्वतंत्रता और इसे केवल हमारे राष्ट्रीय हितों के अधीन रखना हमारे द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

हमारे फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम के संबंध में अनेक प्रश्न उठाए गए हैं। सभा को मेरा आश्वासन है कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम जोकि अभी चल रहा है, उसे किसी भी एजेंसी की निगरानी से पूरी तरह से बाहर रखा गया है।

यदि भविष्य में हमारा कार्यक्रम विकसित होता है और यदि हम सिविलियन फास्ट ब्रीडरों का उत्पादन करते हैं, तो हम तभी यह निर्णय करेंगे कि इन्हें सिविलियन ब्रीडर कहा जाए या सैन्य ब्रीडर। जब तक ये सैन्य हैं, इन्हें किसी रक्षार्थ पूर्वोपाय के अंतर्गत रखने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिए, मैं आश्वासन देता हूं कि फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम की स्वायत्तता को हानि पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जाएगा।

तीन-चरणीय परमाणु ईंधन चक्र के बारे में भी उल्लेख किया गया है। क्या हमने कोई वचनबद्धता दी है या इस समझौते में कुछ ऐसा है जो भविष्य में ईंधन के रूप में थोरियम के विकास को हानि पहुंचाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं जानता कि यह विचार कहां से आया है। मैंने कल इसे 'द हिन्दु' में देखा था, परन्तु जहां तक मैं जानता हूं, इस समझौते में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे लगे कि हम इस तीन-चरणीय ईंधन चक्र को छोड़ देंगे। थोरियम संबंधी प्रौद्योगिकी में अनुसंधान जारी रखने के कार्यक्रम के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

महोदय, जनरल खंडूड़ी ने एक अमेरिकी राजनयिक द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों की सत्यपरकता के बारे में मुझसे पूछा था। मुझे खेद है कि मैं इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हूं कि उन्होंने क्या कहा था या क्या नहीं कहा था। टेलीविजन चैनल पर जाने से पूर्व उन्होंने मुझे विश्वास में नहीं लिया था। इसलिए, मैं यह स्पष्ट करने में समर्थ नहीं हूं कि इस व्यक्ति विशेष का अभिप्राय क्या था। परन्तु मैं आपको आश्वासन देता हूं, मुझे विश्वास है कि यदि हम 18 जुलाई के वक्तव्य को मानें, तो हमारे लिए यह एक बहुत ही अच्छा समझौता है, एक ऐसा समझौता, जैसा कि मुझे बताया गया है कि इसके बारे में पूर्व

[डा. मनमोहन सिंह]

सरकार की समझौता करने की महत्वाकांक्षी थी परन्तु वह समझौता नहीं कर सकी।

प्रश्न यह है कि हमारी स्थिति क्या है? क्या हमें परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र माना जाएगा? मैं स्पष्ट करता हूँ। एक परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र के विशिष्ट लक्षण होते हैं। चूंकि, एन पी टी पर तब तक समझौता नहीं किया जा सकता जब तक संपूर्ण संधि पर पुनः समझौता न हो, मैं सोचता हूं कि मेरे लिए यह कहना गलत होगा कि हमें परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र का दर्जा दिया गया है और यह तथ्य 18 जुलाई के वक्तव्य में परिलक्षित होता है। इसमें भारत को परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र नहीं कहा गया है। इसके अनुसार भारत आधुनिकतम परमाणु प्रौद्योगिकी वाला राष्ट्र है, जिसे वे सभी अधिकार और दायित्व मिलने चाहिए जो ऐसे समान राष्ट्रों को मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी के साथ रक्षार्थ पूर्वोपाय अनुबंध जिस पर हम हस्ताक्षर करेंगे वह अन्य सभी गैर-परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षरित रक्षार्थ पूर्वोपाय नहीं होंगे। रक्षार्थ पूर्वोपाय अनुबंध भारत के लिए विशिष्ट होगा क्योंकि भारत की स्थिति विशिष्ट है। हम गैर-परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आते हैं। 18 जुलाई के वक्तव्य में इस बात को स्पष्ट रूप से और बिना किसी संदेह के स्वीकार किया गया है कि भारत का रणनीतिक कार्यक्रम है। भारत का सैन्य कार्यक्रम है, और यह कार्यक्रम पूरी तरह से किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की परिधि से बाहर है

महोदय, प्रश्न उठाए गए हैं। महोदय, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं केवल संगत पत्रों की तलाश कर रहा हूं।

सायं 7.00 बजे

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: क्या आप सहमति को तर्कसंगत ठहरा रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इससे फर्क नहीं पड़ता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह ऐसा कर सकते हैं। परन्तु वह पत्र खोजने का प्रयास कर रहे हैं, और वह ऐसा कर सकते हैं। कृपया इतनी शालीनता दिखाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: क्या आप 18 जुलाई की सहमति को स्पष्ट करेंगे कि क्या होने जा रहा है?...*(व्यवधान)*

डा. मनमोहन सिंह: महोदय, एक प्रश्न विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन पर विलंबकाल की स्थिति और हमारे द्वारा की गई सहमति के बारे में पूछा गया था। हमने विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन पर किसी विलंबकाल के लिए सहमति नहीं जताई है। हमने केवल उसी पर सहमति जताई है, जिस पर पूर्व सरकार ने सहमति जताई थी, कि हम इस संबंध में आपसी रूप में तय और अंतराष्ट्रीय जांचयोज्य सन्धि के लिए कार्य करेंगे। तब तक, विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन पर किसी प्रकार की सीमा को स्वीकारने का प्रश्न ही नहीं उठता।

महोदय, एक प्रश्न पृथक्करण और इस बारे में उठाया कि यह कितना मंहगा हो गया है। कुछ माननीय सदस्यों द्वारा पृथक्करण की लागत 40 बिलियन डालर बताते हुए कुछ आंकड़े वर्णित किए गए थे। मैं नहीं जानता कि यह लागत अनुमान कहां से तैयार किया गया है। हमारे द्वारा सिविल और सैन्य और परमाणु सुविधाओं के पृथक्करण को स्वीकार करने के बारे में भी संदेह किया गया था क्योंकि परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र ऐसे पृथक्करण को स्वीकार नहीं करते हैं और अपनी परमाणु सुविधाओं से रक्षार्थ पूर्वोपायों को हटाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। हमारे मामले में जुलाई 2005 के वक्तव्य में यह स्वीकार किया गया है कि भारत को आधुनिकतम परमाणु प्रौद्योगिकी वाला राष्ट्र माना जाए जिसे परमाणु प्रौद्योगिकी वाले अन्य राष्ट्रों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, द्वारा उठाए जा रहे समान लाभ मिलेंगे। जुलाई वक्तव्य में भारत का परमाणु हथियार सम्पन्न देश के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि एन.पी.टी. में इसका विशेष अर्थ है। तथापि, जुलाई वक्तव्य में भारतीय सैन्य परमाणु सुविधा के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। इसका अर्थ यह है कि भारत उन गैर-परमाणु हथियार एन.जे.पी.टी. के हस्ताक्षरकर्ता पर लागू होने वाले पूर्ण सुरक्षोपाय नहीं करेगा और भारत के परमाणु हथियार संबंधी कार्यकलापों को जारी रखने पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी।

इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर भारत उन पांच परमाणु हथियार सम्पन्न देशों के समकक्ष हो जाएगा। जो एन.पी.टी. के हस्ताक्षरकर्ता हैं। पृथक्करण योजना में भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी के साथ विशिष्ट सुरक्षोपाय समझौता किया गया है तथा इसमें भारत को ईंधन की आपूर्ति में बाधा आने पर सुधारात्मक उपाय करने के साथ-साथ रिएक्टरों के लिए ईंधन की अबाधित आपूर्ति का आश्वासन दिया गया है। इस संबंध में अमरीका के साथ कोई पृथक समझौता नहीं किया जाएगा।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: महोदय, पृथक्करण की क्या लागत होगी।